

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट नम्बर-२, फतेहपुर।

सत्र परीक्षण संख्या-५०/१७

आदेश

२०.०७.२०१९

साक्षी चुन्नू की ओर से जमानतीय वारण्ट निरस्त किए जाने हेतु प्रार्थना पत्र २३ब प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि उसके विरुद्ध बी०डब्लू० जारी हो गया है। उसने जानबूझकर कोई लापरवाही नहीं की है। साक्षी द्वारा बी०डब्लू० निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया है।

सुना। साक्षी आज न्यायालय में उपस्थित है। अतः आधार पर्याप्त है। प्रार्थना पत्र २३ब स्वीकार किया जाता है। साक्षी के विरुद्ध जारी बी०डब्लू० निरस्त किया जाता है। सम्बन्धित थाने को सूचना दी जाये।

(रविकरण सिंह)

अपर सत्र न्यायाधीश/
फास्ट ट्रैक कोर्ट नम्बर-२, फतेहपुर।